...लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 04.01.2016

...संख्या –01/2016

...2016/00108

...अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

...आ0 श्री नारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल गोपाल भवन सकतपुरा कोटा जिला कोटा
... निवासी ... तहसील नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)
...आ0 श्री नारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल बलकासा तहसील के0पाटन जिला बून्दी।
...आ0 बाई बेवा श्री नारायण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी बलकासा तहसील के0पाटन जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. ...आ0 गोपी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. ...लाल आ0 कल्याण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0) (मृतक)
3. मोहन आ0 कल्याण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा हाल निवासी शिवपुरा पंचायत सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. नन्दलाल उर्फ नंदा आ0 श्री कल्याण जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. नन्दकंवरी बेवा पप्पूलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
6. प्रकाश आ0 पप्पूलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता नन्दकंवरी बेवा पप्पूलाल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
7. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्र:– अंतर्गत धारा 188 आर.टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थिति:–
वादीगण के अभिभाषक श्री हसन मियां
प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर

निर्णय दिनांक 14.12.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कलमियां पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 202/07–16, 205/17–08, 210/10–18 कुल किता 3 कुल रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा स्थित है जो श्री नारायण आ0 बजरंग गर एवं बाबू आ0 रामनारायण गर के सम्मिलित खातेदारी एवं आधिपत्य की थी। बजरंग गर एवं रामनारायण आपस में भाई थे। यही इन्द्राज सेटलमेंट द्वारा दी गई जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2047 में दर्ज है। परन्तु राजस्व विभाग की गलती एवं लापरवाही के कारण श्री नारायण आ0 बजरंग गर के बजाय श्री नारायण के आगे अल्प विराम लगा दिया व आत्मज शब्द विलोपित कर दिया जिससे राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण श्री नारायण आ0 बजरंग गर पिता–पुत्र होने के बजाय आपस में सगे भाई हो गये व बाबू भी इनका सगा भाई हो गया। इस गलती के कारण ही आगे की जमाबंदी में श्री नारायण के मरने के पश्चात् उसके वारिसान जो वादीगण का हिस्सा 1/3 हो गया व बजरंग गर व बाबू का हिस्सा 2/3 हो गया जबकि बजरंग गर को वर्षों पूर्व ही मर चुका है। जो भी श्री नारायण का पिता था ... का हिस्सा बराबर–बराबर 1/2 दर्ज होना चाहिए था। यह कि बाबू का भी देहवसान हो चुका है। ... फौत हुआ है जिसके वारिसान भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...ण ही है एवं सम्पूर्ण भूमि पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चले आ रहे है। बजरंग गर वर्षों पूर्व ...र चुका है जिसके एकमात्र वारिस वादीगण का पिता श्री नारायण था जिसका भी देहावसान हो चुका ...सके वारिस भी वादीगण है। यह कि वादीगण ने जमाबंदी में से बजरंग गर व बाबू का नाम हटा ...र सम्पूर्ण भूमि पर खातेदार कृषक वादीगण को घोषित करने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को सूचित करने के उपरान्त भी वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नहीं किया गया है। यही वाद का कारण है। यह कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर जमाबंदी एवं अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में से बाबू एवं बजरंग गर का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज किया जावे। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में भू–प्रबन्धन विभाग की जमाबंदी प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम कलमियां प्रदर्श–2 एवं 3, रजिस्टर्ड नोटिस की प्रति एवं पावती रसीद तथा मृत्यु प्रमाण पत्र बाबू आ0 रामनारायण प्रदर्श–5 तथा बयानों के शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 लगायत 6 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण एवं वादीगण के पूर्वजों की कृषि भूमि है। मृतक बरजंग गर के चारा पुत्र कल्याण, श्रीनारायण, रामनारायण एवं गोपी थे। बजरंगगर जी के उक्त चारों पुत्रों का देहावसान हो चुका है। सेटलमेंट जमाबन्दी सम्बत् 2022 से 2025 में कल्याण श्रीनारायण मोती पिसरान बजरंगा लादू वल्द रामनारायण हिस्सा 1/2 अंकित हो गया है। राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण गोपी के वारिसान विलोपित कर दिये गये है। गोपी के स्थान पर मोती अंकित कर दिया गया जो कि प्रतिवादी संख्या 1 कैलाश का पिता है जबकि मोती नाम का वारिसान बजरंगगर के परिवार में नही है। इस प्रकार रामनारायण के पुत्रों बाबू का नाम भी जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में लादू वल्द रामनारायण अंकित कर दिया गया जबकि जरखोदा की कृषि भूमि में राजस्व अभिलेखों में बजरंगा उर्फ बजरंगगर के वारिसान के रूप में सभी के नाम अंकित है। वादीगण ने तथ्यों को छुपाते हुऐ प्रतिवादीगण का कोई जिक्र नहीं कर गलत तरीके से दावा डिक्री करवा लिया था। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रतिवादी कैलाश की माता का विवाह बाबू के पिता रामनारायण के साथ सम्पन्न हुआ था और अपीलान्ट की माता रामनारायण के नुत्फे से बाबू का जन्म हुआ जो लाऔलाद फौत हो चुका था। प्रतिवादी कैलाश की माता ने रामनारायण की मृत्यु के पश्चात रामनारायण के छोटे भाई गोपी के साथ नाता विवाह कर लिया था। विवाह के पश्चात प्रतिवादी कैलाश की माता व गोपी के नुत्फे से प्रतिवादी कैलाश का जन्म हुआ था। इस प्रकार बाबू वल्द रामनारायण का एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 कैलाश ही है और कृषि भूमि पर बाबू के हिस्सा 1/4 व अपने पिता गोपी के हिस्सा 1/4 पर बहैसियत खातेदार काबिज रहकर लगातार कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी कैलाश जवाब दावे की चरण संख्या 1 लगायत 5 व विशेष आपत्तियों में अंकित तथ्यों के अनुसार वादग्रस्त भूमि के संयुक्त हिस्सा 1/2 का सहखातेदार आसामी है जिसको वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिस्सा 1/2 का खातेदार दर्ज किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। प्रतिवादी कैलाश को अधिकार प्राप्त है कि वह त्रुटि को शुद्ध करवाकर उनके वारिसान के रूप में वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 का खातेदार न्यायालय श्रीमान से घोषित करवाये। यह कि वादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रतिवादी के संयुक्त हिस्सा 1/2 की भूमि पर किसी प्रकार से स्वयं हस्तक्षेप नही करें।

वादीगण संख्या 2, 3 व प्रतिवादी कैलाश ने राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 2 व 3 इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते तथा प्रतिवादी कैलाश को वादग्रस्त भूमि के संयुक्त हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कैलाश को खातेदार अंकित किया जावें।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत ... काउन्टर क्लेम की बिन्दुवार तनकी कायम की गई। वाद बिन्दुओं पर बहस उभयपक्षकारान सुनी ... –पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...पत्र साथ रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्राप्त होना कोर्ट दर्ज में पेश हुई। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। ग्राम कजलिया पटवार मण्डल [illegible] तहसील [illegible] में भूमि खसरा संख्या 202/07-14, 206/17-08, 210/10-18 कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] बीघा 2 बिस्वा भूमि पर 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी [illegible] को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। डिक्री की प्रति तहसीलदार [illegible] को भेजकर आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner